प्रेस नोट
दिनांक- 11.09.2026

थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत धारदार हथियार से हमला कर युवक की मृत्यु के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
कार्यवाही-

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दिनांक 09.09.2026 को हुई मारपीट एवं धारदार हथियार से हमले की घटना में संलिप्त वांछित 03 अभियुक्तों 01. सुभाष सिंह, 02. सुभम सिंह उर्फ गोलू, 03. अंतिम सिंह को चरसड़ी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विनोद कुमार साहनी पुत्र अतारू लाल निवासी ग्राम रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 09.09.2026 को रात्रि में वह अपनी बर्तन की दुकान बन्द करके अपने घर रेक्सडिया जा रहा था। रास्ते में विपक्षीगण द्वारा रोककर धारदार हथियार भला आदि से हमला कर दिया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। घायल को बेहतर उपचार हेतु केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों 01. सुभाष सिंह, 02. सुभम सिंह उर्फ गोलू, 03. अंतिम सिंह को चरसड़ी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा सोशल मीडिया पर एक वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक/भड़काऊ पोस्ट किए जाने की बात को लेकर उनका मृतक से विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर उनके द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुभाष सिंह पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम रेक्सडिया चैनपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. सुभम सिंह उर्फ गोलू पुत्र हरि प्रताप निवासी ग्राम रेक्सडिया डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. अंतिम सिंह पुत्र पप्पू उर्फ कालिका बक्श सिंह निवासी मोहम्मदपुर गढवाल थाना कर्नलगंज, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 413/2026 धारा 191(2), 103(1), 190, 191(3) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. थाना परसपुर पुलिस टीम ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2022 को थाना परसपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 20.10.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0प्रमोद कुमार व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकान्त की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 11.09.2026 को दोषी अभियुक्त पृथ्वीराज लोधी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

01. पृथ्वीराज लोध पुत्र काली प्रसाद निवासी ग्राम घोपतपुर बसन्तपुर, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 66/2022 धारा 376(3) भा0द0वि0 व 5(झ)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2026

थाना को0नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के रु0 5000/- नगद बरामद

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-840/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों 01. शिवकुमार पाण्डेय व 02. संदीप गोस्वामी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे चोरी किया गया रु0 5000/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत निवासी मोकलपुर जनपद गोण्डा निवासी ओमकार चौबे पुत्र विनोद कुमार चौबे द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनके दुकान में चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों 01. शिवकुमार पाण्डेय व 02. संदीप गोस्वामी को आसरा आवास सर्किट हाऊस के बगल खण्डहर से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से चोरी के रु0 5000/- नगद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01. शिवकुमार पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय निवासी गजाधरपुर पोस्ट माधवजोत को0देहात, जनपद गोण्डा।
02. संदीप गोस्वामी पुत्र शंभूलाल गोस्वामी निवासी पंतनगर हनुमंतपुरम कालोनी को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-840/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगीः-

1. चोरी के 5000/- रु0 नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01. उ0नि0 नितिन उपाध्याय
02. का0 विनय प्रताप
03. का0 अजीत

मीडिया सेल, गोण्डा